उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग–8
संख्या–3970/पॉच–8–2015–म(178)/2012
लखनऊः दिनांकः 15 अक्टूबर, 2015

कार्यालय ज्ञाप

बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में डिप्लोमा इन चाईल्ड हेल्थ (डी0सी0एच0) कराये जाने हेतु महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–21फ/ए0ई0एस0/जे0ई0–डी0सी0एच0/2014/4503, दिनांक 18.09.2015 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार पात्र चिकित्साधिकारियों का डिप्लोमा के सत्र 2015–17 हेतु सेवा विवरण निम्नवत् हैः–

क0 सं0	चिकित्साधिकारी का नाम/वरिष्ठता कमांक	श्रेणी	सेवा में आने की तिथि	कार्यरत स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	डा0 सुनील सिंह/ 11957क1	अन्य पिछडा वर्ग	16.09.2006	सामु0 स्वा0 केन्द्र, पत्थरदेवा, देवरिया।
2	डा0 बृजेश कुमार यादव/12077क2	अन्य पिछडा वर्ग	07.12.2006	नया0 प्राथ0 स्वा0 केन्द्र मधुवन मऊ।
3	डा0 देवेन्द्र प्रताप/ 12440	अनुसूचित जाति	30.12.2008	प्राथ0 स्वा0 केन्द्र साडेकला, सन्तकबीर नगर
4	डा0 आनन्द कुमार सिंह/12526	अन्य पिछडा वर्ग	26.12.2008	नया प्राथ0 स्वा0 केन्द्र अमहिया खोराबार, गोरखपुर
5	डा0 चन्द्र भानु राम/12449	अनुसूचित जाति	01.01.2009	सामु0 स्वा0 केन्द्र नॉनपारा बहराईच
6	डा0 अमित कुमार सिंह/12614	अन्य पिछडा वर्ग	13.01.2009	सामु0 स्वा0 केन्द्र रूद्रपुर देवरिया
7	डा0 अरविन्द कुमार उपाध्याय/12785क	सामान्य	06.08.2009	सामु0 स्वा0 केन्द्र कैम्पियरगंज, गोरखपुर
8	डा0 दिनेश यादव/ 13053क	अन्य पिछडा वर्ग	06.08.2009	सामु0 स्वा0 केन्द्र, गौरीबाजार, देवरिया
9	डा0 सुभाष प्रसाद/13475	सामान्य	21.04.2010	नया प्राथ0 स्वा0 केन्द्र पडरौना कुशीनगर
10	डा0 सतीश चन्द्र/ 13494	अन्य पिछडा वर्ग	05.05.2010	प्राथ0 स्वा0 केन्द्र खडडा, कुशीनगर

2– पूर्वान्चल में ए0ई0एस0/जे0ई0 को नियंत्रित करने हेतु विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध कराये जाने हेतु पीएम0एच0एस0 संवर्ग के उपर्युक्त 10 चिकित्साधिकारियों को बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर से डिप्लोमा इन चाईल्ड हेल्थ (डी0सी0एच0) कोर्स करने हेतु एतदद्वारा अनुमति प्रदान करते हुए दिनांक 01.12.2015 तक बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में योगदान प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

3– उपर्युक्त प्रस्तर–1 में वर्णित चिकित्साधिकारियों की अध्ययन की स्वीकृति निम्नांकित शर्तो पर प्रदान की जाती हैः–

(1) अध्ययन की अवधि को डयूटी पर माना जायेगा और उन्हें वही वेतन व महंगाई भत्ता अनुमन्य होगा, जो उनके प्रशिक्षण में न जाने पर डयूटी में देय होता है। अध्ययन अवधि में नगर प्रतिकर भत्ता/मकान किराया भत्ता यदि अनुमन्य हो तो दिये जाने के पूर्व उनसे सहायक नियम–152एफ में निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

–2/.........

annapatti/ maurya

(2) चिकित्साधिकारियों के अध्ययन हेतु उनकी तैनाती के स्थान से संबंधित मेडिकल कालेज में आने तथा वापस जाने के लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–2 में निहित नियमों के अनुसार सामान्य दरों पर यात्रा भत्ता देय होगा, किन्तु उन्हें अपने अध्ययनकाल में कोई दैनिक भत्ता अनुमन्य न होगा।

(3) अध्ययन में पूर्व अथवा बाद में कोर्स ज्वाईनिंग टाईम अनुमन्य न होगा, किन्तु वास्तविक समय अध्ययन के स्थान पर जाने तथा वापस आने में लगेगा वह अध्ययन अवधि का ही भाग समझा जायेगा।

(4) उक्त अध्ययन में प्रवेश, प्रशिक्षण लाईब्रेरी तथा परीक्षा शुल्क संबंधी व्यय चिकित्साधिकारियों द्वारा स्वयं किया जायेगा तथा स्नात्कोत्तर (डिप्लोमा) पाठ्यक्रम में कार्यकाल 02 वर्ष होगा।

(5) चिकित्साधिकारियों से शासनादेश संख्या–1653/चि–3–11–जी–179/2005, दिनांक 23.05.2011 में उल्लिखित आशय का अनुबन्ध निष्पादित कराया जायेगा।

(6) उन्हें स्नात्कोत्तर योग्यता वेतन अनुमन्य नहीं होगा।

(7) डिप्लोमा पूर्व करने के उपरान्त चिकित्साधिकारी स्वतः विशेषज्ञ सेवा कर सकेगें।

(8) संबंधित चिकित्साधिकारियों के प्रशिक्षण अवधि का वेतन व भत्ते उनके मूल तैनाती स्थान से आहरित होंगे।

(9) उक्त अध्ययन के उपरान्त संबंधित चिकित्साधिकारी अपनी मूल तैनाती स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करेंगे। इस अवधि में उनका स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा।

(10) उपर्युक्त स्नात्कोत्तर अध्ययन हेतु संबंधित चिकित्साधिकारी अपने वर्तमान तैनाती स्थान से स्वतः कार्यमुक्त समझे जायेंगे।

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव।

संख्या–2910 (1)/पाँच–8–2015, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रधान महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महानिदेशक/निदेशक(प्रशिक्षण), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
4. निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
5. निदेशक, ए0ई0एस0/जे0ई0, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
6. संबंधित मुख्य चिकित्साधिकारी (द्वारा निदेशक प्रशासन)।
7. वित्त (सामान्य) अनुभाग–1/वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–3
8. चिकित्सा अनुभाग–2/3
9. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शिवगोपाल सिंह)
अनु सचिव।

annapatti/ maurya